भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 325

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

***325. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः**

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र तथा दादरा और नगर हवेली में श्रमिकों और कामगारों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त प्रत्येक योजना के लिए आवंटित, संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र तथा दादरा और नगर हवेली में उक्त योजनाओं से लाभान्वित श्रमिकों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई कमी मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने उक्त कमियों को किस प्रकार दूर किया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

** *****

"केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के संबंध में डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे और श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे द्वारा दिनांक 24.03.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 325 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। कार्यान्वित की जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं:- (i) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम), जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए भारत सरकार के समान अंशदान वाली एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना है; (ii) बीड़ी/ सिनेमा/ गैर-कोयला खान कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस), जिसमें तीन घटक शामिल हैं अर्थात स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति और आवास; (iii) मॉडल करियर सेंटर (एमसीसी) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस); (iv) ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995; (v) कोविड-19 महामारी के दौरान नए रोजगार के सृजन और रोजगार के नुकसान की वापसी के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई); (vi) बंधुआ मजदूरों की पहचान और पुनर्वास के लिए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास; और (vii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं।

महाराष्ट्र राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली सहित प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत व्यय का ब्यौरा तथा लाभार्थियों की संख्या अनुबंध में दी गई है।

योजनाओं के कार्यान्वयन में पायी गई कमियों जैसे जागरूकता, लाभार्थियों के जुटाने की कमी को जागरूकता शिविरों का आयोजन करके, नामांकन की सुविधा प्रदान करके राज्य और स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से दूर किया जाता है।

"केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के संबंध में डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे और श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे द्वारा दिनांक 24.03.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 325 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना:

वर्ष	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)
2019-20	352.20
2020-21	319.71
2021-22	324.23
2022-23	269.91
2023-24	162.51
2024-25 (दिनांक 18.03.2025 तक)	232.11

दिनांक 18.03.2025 की स्थिति के अनुसार पीएमएसवाईएम योजना के तहत मानधन पोर्टल पर 51 लाख से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया है, जिनमें महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली में क्रमशः 6,21,642 और 1,664 लाभार्थी शामिल हैं।

2. श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस):

वर्ष	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)
2019-20	53.66
2020-21	86.25
2021-22	64.21
2022-23	80.79
2023-24	81.31
2024-25 (दिनांक 15.03.2025 तक)	17.15

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में कुल लाभार्थियों की संख्या 6,43,477 है।

3. राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस):

वर्ष	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)
2019-20	63.93
2020-21	43.80
2021-22	24.30
2022-23	43.99

2023-24	46.90
2024-25 (दिनांक 17.03.2025 तक)	38.67

2015 में योजना की शुरुआत के बाद से एनसीएस के तहत नौकरी तलाश करने वालों/ लाभार्थियों की संख्या 5.34 करोड़ है, जिनमें से 93,22,764 और 4,247 क्रमशः महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली में हैं।

4. आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (एबीआरवाई):

वर्ष	**संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)**
2020-21	351.08
2021-22	4046.44
2022-23	4593.08
2023-24	1197.89

दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार कुल लाभार्थियों की संख्या 60.49 लाख है, जिनमें से 9.79 लाख और 52,911 लाभार्थी क्रमशः महाराष्ट्र तथा दादरा और नगर हवेली में हैं।

5. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास: यह योजना मांग आधारित है, जिसके तहत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें धनराशि प्रदान की जाती है। हालांकि, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सरकार और दादरा एवं नगर हवेली के संघ शासित प्रदेश प्रशासन से वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

6. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी): ईएसआईसी योजना के तहत, महाराष्ट्र राज्य में 15 अस्पताल (03 ईएसआईसी और 12 ईएसआईएस) और 108 औषधालय हैं। महाराष्ट्र राज्य में 48,70,460 बीमित व्यक्ति हैं। दादरा और नगर हवेली के बीमित व्यक्तियों (आईपी) को क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद के आईपी की संख्या के साथ शामिल किया गया है। दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार दादरा और नगर हवेली सहित क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, गुजरात से जुड़े कुल बीमित व्यक्तियों की संख्या 8,78,670 है।

*****